

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, खरथा,
जिला दुर्ग छ. ग. ३

// नियुक्ति आदेश //

दिनांक.....

क्रमांक /2010/ लिखित परीक्षा के बाद बने चयन सूची के आधार पर श्री/श्रीमती/

राजा सिंह/ अशोक सिंह पता: गाम बगदई, पो./तह. डोंगरगांवको मुंठ्य पद पर वेतनमान रु.....
जिला राजनगाव छ. ग. ३
4750-7440 ग्रेड पे रु. 1300-00 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अर्ध

कार्यभार ग्रहण के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

1. यह नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा के आधार पर होगी, दो वर्ष में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित किया जा सकेगा।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अस्थायी नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवाएं किसी भी सम किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़े की है।
3. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त दो के अन्तर्गत देय रकम उस व्यक्ति से भू-संजख की वकाया की भांति वसूली की जावेगी।
4. उक्त आदेश में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 24/सी-274/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 27.1.2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क. 31/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.11.2004 से लागू "अशदायी पेंशन योजना" लागू होगी।
5. आप की नियुक्ति चरित्र सत्यापन/मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. अ/कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवें, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।



Principal,
Govt. College, Khertha,
Distt. Balod (C.G.)

Principal,
Govt. College, Khertha,
Distt. Balod (C.G.)

ब/आपके द्वारा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकल सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो आपको बिना किसी पूरे के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा, जिसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे तथा आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

7. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा जाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यक्षीन हैं और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।
8. उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि आपने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पाई जाती है, तो भी आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
9. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। सत्यापति में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वभाव निरस्त समझा जावेगा।
10. यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे।
11. प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त पद के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का पालन किया है एवं रोस्टर संधारित किया गया है।

डॉ. स. के. मण्डारी

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, दुर्ग छ.ग. १

अतिरिक्त प्रभार धरथा दिनांक 02.09.10

पृष्ठांकन क्रमांक 1313/2010
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा
3. कोषालय अधिकारी
4. श्री. राजासिंह/शुभोदसिंह पता: राजा बाराद्री प्रा. डे. कलेज - राजमो 9/119
5. संबंधित की व्यक्तिगत नरती में रखने हेतु।
की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्वत्यागत



प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा

PRINCIPAL

GOVT. COLLEGE ARJUNDA

Distt. Balod

अतिरिक्त प्रभार धरथा

Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय " खेरथा
जिला दुर्ग ऋ. ग. ३

// नियुक्ति आदेश //

दिनांक.....

क्रमांक /2010/ लिखित परीक्षा के बाद बने चयन सूची के आधार पर श्री/श्रीमती/कु
विकास / भागवत प्रसाद - पता ग्राम मनकी पो. अर्जुन्दा, को भृत्य पद पर वेतनमान रु.....
तह. डौण्डी लोहारा दुर्ग ऋ. ग.
4750-7440 ग्रेड पे रु. 1300.00 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अधीन
कार्यभार ग्रहण के दिनांक से नियुक्त किया जाता है:-

1. यह नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा के आधार पर होगी, दो वर्ष में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित किया जा सकेगा।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अस्थायी नियुक्ति के दौरान उनकी अस्थायी सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जायेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है।
3. उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त दो के अन्तर्गत दैय रकम उस व्यक्ति से भू-सजस्व की बकाया की भांति वसूली की जावेगी।
4. उक्त आदेश में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 24/सी-274/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 27.1.2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क. 31/सी-2742/वित्त/नियम/चार/2006, में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.11.2004 से लागू "अंशदायी पेंशन योजना" लागू होगी।
5. आप की नियुक्ति चरित्र सत्यापन/मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
6. अ/कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।



[Signature]
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

[Signature]
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

व/आपके द्वारा आरक्षित वर्ग(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकर सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण-पत्र यदि गलत पाये गये तो आपको बिना किसी के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा, जिसका उत्तरदायी आप स्वयं होंगे तथा आपके विरुद्ध भारतीय संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।

7. यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा जाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किए जाने के अध्यक्षीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित की सेवाएं समाप्त कर दी जावेगी।
8. उपर्युक्त नियुक्ति अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि आपने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पाई जाती है, तो भी आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
9. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
10. यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे।
11. प्रमाणित किया जाता है, कि उपर्युक्त पद के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का पालन किया है एवं रोस्टर संघारित किया गया है।

(डॉ. ए.के. मण्डारी)

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय अर्जुन्दा, दुर्ग उ.ग. १
अतिरिक्त प्रभारधर्या दिनांक 02-09-2010

फाइल नं. 1309/2010
तिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा.....
3. कोषालय अधिकारी.....
4. श्री विक्रम/अभारवत प्रसाद, पता राय - अनवी या अर्जुन्दा खिला 301
5. संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में रखने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE ARJUNDA
DURG (C.G.)
अतिरिक्त प्रभारधर्या

Arjun
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

E - WASTE MANAGEMENT



Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India

Chhattisgarh
India

2021-11-02(Tue) 05:21(PM)



Khertha, Chhattisgarh, India

V2WP+64M, Khertha, Chhattisgarh 491771, India

Lat 20.895112°

Long 81.033629°

10/12/21 11:57 AM GMT +05:30

Google



Khertha, Chhattisgarh, India

V2WP+64M, Khertha, Chhattisgarh 491771, India

Lat 20.895112°

Long 81.033629°

10/12/21 11:57 AM GMT +05:30

Google



Unnamed Road, Chhattisgarh 491771, India



Chhattisgarh
India

2021-11-02(Tue) 05:21(PM)




Princi
**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**

SOLID WASTE MANAGEMENT



Anu
Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)

LIQUID WASTE MANAGEMENT



Dinesh
**Principal,
Govt. College, Khertha
Distt. Balod (C.G.)**